## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 35 / 2014

संस्थापन दिनांक 21.01.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## बनाम

1—श्यामवीरसिंह पुत्र मानसिंह बघेल उम्र 27 वर्ष, निवासी नयाबेला पोस्ट व थाना पछायगांव जिला इटावा उ.प्र.

– अभियुक्त

## निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

- 1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304ए भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 18—01—14 को 07:30 बजे या उसके लगभग भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड हरगोविन्दपुरा के सामने पुलिया के पास अंतर्गत थाना गोहद चौराहा लोकमार्ग पर वाहन ट्रक कमांक यू0पी0—75—एम0—4436 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर राहुल में पीछे से टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.01.14 को फरियादी प्रदीप अ0सा01 का भतीजा राहुल उर्फ छुन्ना ग्राम हरगोविन्दपुरा से दूध लेकर लौट रहा था वह हाईवे रोड पर अपनी साइड में पैदल—पैदल गोहद चौराहा तरफ आ रहा था तब समय सुबह करीब 07:30 बजे भिण्ड तरफ से ट्रक कमांक यू0पी0—75—एम0—4436 का चालक अपने ट्रक को लापरवाही से चलाता हुआ लाया और मृतक राहुल को पीछे से टक्कर मारी तथा टायर मृतक राहुल के सिर पर से निकल गया और राहुल की मौके पर ही मौत हो गयी। तत्पश्चात फरियादी प्रदीप अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा में अप0क0 08/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण

🚮 प्रकरण कमांक : 35/2014

विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
  - प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 18—01—14 को 07:30 बजे या उसके लगभग भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड हरगोविन्दपुरा के सामने पुलिया के पास अंतर्गत थाना गोहद चौराहा लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0—75—एम0—4436 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर राहुल में पीछे से टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

## //विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

- फरियादी प्रदीप अ0सा01 का कथन है कि दो वर्ष पूर्व उसका भतीजा राहुल हरगोविन्द पुरा से दूध लेकर आ रहा था तब प्रातः साढे सात बजे भिण्ड की ओर से आ रहे ट्रक ने राह्ल में टक्कर मार दी जिससे राह्ल की मृत्यु हो गयी थी। घटना की रिपोर्ट प्र0पी–1 उसने थाना गोहद चौराहा में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र0पी–4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सफीना फार्म प्र0पी–3 व नक्शा पंचायतनामा प्र0पी–2 व जप्ती पत्रक प्र0पी–5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर इस साक्षी ने टक्कर मारने वाले ट्रक का नंबर यू०पी0-75-एम0-4436 याद होने से इंकार किया है। जप्ती पत्रक प्र0पी-5 के अनुसार भी ट्रक क्रमांक यू0पी0—75—एम0—4436 उसके समक्ष घटनास्थल से जप्त होने के सुझाव से इंकार किया है। पुलिस कथन प्र0पी–6 व एफआईआर प्र0पी–1 में भी ए से ए भाग का ट्रक का नंबर यू0पी0-75-एम0-4436 लिखाये जाने से साक्षी ने इंकार किया है और प्रतिपरीक्षण में उक्त दस्तावेजों पर ट्रक का नंबर लिखाया जाना पुलिस द्वारा बताये अनुसार लिखाया जाना स्वीकार किया है। मुख्यपरीक्षण में इस साक्षी ने आरोपी श्यामवीर को जानने अथवा पहचानने से भी इंकार किया है।
- 6. रमेशचन्द्र अ०सा०२ ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व प्रदीप ने उसे बताया था कि उसके भतीजे का एक्सीडेन्ट हो गया है जिसमें उसकी मृत्यु हो गयी थी। एक्सीडेन्ट ट्रक से हुआ था तब वह घटनास्थल पर पहुंच गया था इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं थी। सफीना फार्म, नक्शा पंचायतनामा एवं जप्ती पत्रक प्र0पी—3, 2 व 5 के ए से ए भाग पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि प्रदीप ने उसे बताया था कि ट्रक नंबर यू0पी0—75—एम0—4436 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके भतीजे में टक्कर मारी थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—7 में भी दिए जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने स्वयं के समक्ष जप्ती पत्रक प्र0पी—5 के अनुसार ट्रक कमांक यू0पी0—75—एम0—4436 उसके समक्ष जप्त होने से इंकार

किया है।

- मृतक का पिता कमलिकशोर अ०सा०४ ने कथन किया है कि दिनांक 7. 18.01.14 को उसके पुत्र राहुल की एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गयी थी वह प्रदीप अंग्रिता के साथ था। गोहद चौराहे पर भिण्ड ग्वालियर रोड पर पैदल आते समय प्रातः सात बजे भिण्ड की ओर से आ रहे ट्रक ने राहुल को पीछे से टक्कर मार दी और ट्रक का टायर उसके सिर पर चढ गया था उसे प्रदीप अ०सा०1 ने घटना की जानकारी दी तब वह एक्सीडेन्ट के बाद मौके पर पहुंचा ट्रक वहीं खड़ा था परन्तु चालक नहीं था। घबराहट के कारण उसे ट्रक का नंबर याद नहीं है। सुझाव स्वरूप इस साक्षी ने ट्रक क्रमांक यू०पी०-75-एम०-4436 के द्वारा ही उसके बेटे में टक्कर मारे जाने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया है और पुलिस कथन प्र0पी-7 में भी ट्रक क्रमांक यू0पी0—75—एम0—4436 की जानकारी दिए जाने से इंकार किया
- साक्षी राकेश अग्रवाल अ०सा०३ ने कथन किया है कि उसकी गोहद चौराहे पर दुकान है उसे राहल के एक्सीडेन्ट के बारे में पता चला था लेकिन एक्सीडेन्ट कैसे हुआ उसे जानकारी नहीं है। सफीना प्र0पी–3 व नक्शा पंचायतनामा प्र0पी-2 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि प्रदीप ने उसे बताया था कि ट्रक क्रमांक यू0पी0-75-एम0-4436 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाकर राहुल को टक्कर मारी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी–6 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा05 का कथन है कि वह दिनांक 9. 18.01.14 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को डाँ० राजेन्द्र तरेटिया भी पदस्थ थे। वह उनके हस्ताक्षर तथा लेख को पहचानता है। उसी दिनांक को थाना गोहद चौराहा के आरक्षक संजय वर्मा द्वारा लाये जाने पर मृतक राह्ल पुत्र कमलकिशोर के शव का शव परीक्षण डॉ0 राजेन्द्र तरेटिया द्वारा किया गया जिसमें मृतक सामान्य कद काठी का था तथा उसके शरीर में ट्रकड़न नहीं थी। मृतक के सिर में सिर की हिंडिडयां कुचली हुई थीं तथा मृतक की पसिलयां भी कुचली हुई थीं। मृतक की रीढ की हड्डी, कूल्हा, दांयी जांघ तथा बांया हाथ कुचला हुआ था। आंतरिक परीक्षण में मृतक के सभी आंतरिक अंग कुचले हुए थे। डाँ० राजेन्द्र तरेटिया के मतानुसार मृतक की मृत्यु कोमा में जाने के कारण हुई थी तथा शवपरीक्षण के दो घण्टे के भीतर की थी। शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-8 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 राजेन्द्र तरेटिया के हस्ताक्षर हैं।
- साक्षी राजेन्द्रसिंह अ०सा०६ ने कथन किया है कि वह दिनांक 18.01.14 10 को थाना गोहद चैराहे पर प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाने के अप०क० 08/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी की निशादेही पर नक्शामीका प्र0पी-4 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक राह्ल का सफीना प्र0पी-3 जारी किया था। जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाहों के समक्ष राहुल का नक्शा पंचायतनामा प्र0पी-2 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को साक्षी प्रदीप अ०सा०१, रमेश अ०सा०२ व राकेश अ०सा०३ के कथन उनके बताय

🔬 🕽 प्रकरण कमांक : 35/2014

अनुसार लेख किए थे घटनास्थल से ट्रक कमांक यू०पी०-75-एम०-4436 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-5 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 19.01.14 को कमलकिशोर अ0सा04 के कथन उसके बताये अनुसार लिखे थे और उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र0पी–10 बनाया था और आरोपी श्यामवीर से ट्रक के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी–11 बनाया था जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना में ट्रक के मालिक आशीष कुमार से प्रमाणीकरण प्र0पी—12 लिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इंकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तब वहां कोई वाहन नहीं था।

- 🌉 अभियोजन मामले में घटना का एक मात्र प्रत्यक्ष साक्षी फरियादी प्रदीप अ०सा०१ है जिसके द्वारा ट्रक क्रमांक यू०पी०–75–एम०–4436 के द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से इंकार कर एफ.आई.आर. प्र0पी–1 व कथन प्र0पी–6 में ट्रक कमांक लिखाये जाने से इंकार किया है। आरोपी श्यामवीर को भी इस साक्षी ने पहचानने से इंकार किया है। दुर्घटना कारित करने वाला अभिलिखित ट्रक कमांक यू0पी0—75—एम0—4436 घटनास्थल से जप्त होने से प्रदीप अ0सा01 व रमेश अ०सा०२ ने इंकार किया है। अनुश्रुत साक्षी रमेश अ०सा०२, राकेश अ०सा०३ व कमलकिशोर अ0सा04 ने भी दुर्घटना ट्रक कमांक यू0पी0–75–एम0–4436 या आरोपी द्वारा किए जाने का कथन नहीं किया है। अतः प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में परिस्थितजन्य रूप से ट्रक क्रमांक यू०पी०—75—एम०—4436 से दुर्घटना कारित होने के तथ्य भी अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होते हैं। अतः प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य से दुर्घटना के समय आरोपी द्वारा ही ट्रक कमांक यू0पी0-75-एम0-4436 परिचालित किया जाकर राहुल की मृत्यु कारित किया जाना अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से सिद्ध नहीं होता है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 18–01–14 को 07:30 बजे या उसके लगभग भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड हरगोविन्दपुरा के सामने पुलिया के पास अंतर्गत थाना गोहद चौराहा लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक यू०पी0—75—एम0—4436 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर राहुल में पीछे से टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
- परिणामतः आरोपी को धारा 304ए भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त ६ 12. गोषित किया जाता है।
- आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। 13.
- प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक कमांक यू०पी०-75-एम०-4436 पूर्व से आवेदक आशीष कुमार की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का ELINIA I पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र0